झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

# अधिसूचना

**अधिसूचना संख्या–8/गठन/108/2016/न0वि0–**3501 **राँची, दिनांक–**01/07/16

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–3 (1) (2), 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत जुगसलाई नगरपालिका जिसकी जनसंख्या वर्ष 2011 के जनगणना के आँकड़ों के आधार पर 49660 होने के फलस्वरूप जुगसलाई नगरपालिका के मूल रूप को **लघुत्तर शहरी क्षेत्र (नगर परिषद, वर्ग–'ख')** के रूप में घोषित करने संबंधी **'प्रारूप आदेश'** निर्गत करना चाहते हैं।

इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के **''झारखण्ड गजट''** में प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर जुगसलाई नगर परिषद, वर्ग–'ख' के गठन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–5 की उपधारा–(2) के अधीन उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

## प्रारूप आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–3 (1) (2), 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ जुगसलाई नगरपालिका के मूल रूप को **लघुत्तर शहरी क्षेत्र (नगर परिषद वर्ग–'ख')** के रूप में घोषित करते हैं।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से।

21.6.16

(अरुण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

**ज्ञापांक–8/गठन/108/2016/न0वि0–**3501 राँची, दिनांक–01/07/16

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

21.6.16

सरकार के प्रधान सचिव।

UDD Hall/D/Adhisucha 12

ज्ञापांक–8 / गठन / 108 / 2016 / न0वि0– 3501 राँची, दिनांक– 01/07/16

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड / सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

29.6.16

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–8 / गठन / 108 / 2016 / न0वि0– 3501 राँची, दिनांक– 01/07/16

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / महालेखाकार, झारखण्ड, राँची / सभी प्रधान सचिव / सचिव, झारखण्ड / प्रमण्डलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमण्डल / उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम / विशेष पदाधिकारी, जुगसलाई नगरपालिका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.6.16

सरकार के प्रधान सचिव।